# दिल्ली विधान सभा

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

### छठा प्रतिवेदन

( 7.8.1995 को प्रस्तुत किया गया )

# DELHI VIDHAN SABHA

## COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS & RESOLUTIONS

### SIXTH REPORT

( PRESENTED ON 7.8.1995 )


दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

## दिल्ली विधान सभा सचिवालय

## गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन

## (छठा प्रतिवेदन)

(7-8-1995 को प्रस्तुत)

### समिति का गठन

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री चरती लाल गोयल | सभापति |
| 2. | श्री नन्द किशोर गर्ग | सदस्य |
| 3. | श्री ओ0पी0 बब्बर | सदस्य |
| 4. | श्री दर्शन कुमार बहल | सदस्य |
| 5. | श्री राम पाल कराहना | सदस्य |
| 6. | श्री जग प्रवेश चन्द्र | सदस्य |
| 7. | डॉ0 ए0के0 वालिया | सदस्य |

### सचिवालय

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री पी.एन. गुप्ता | सचिव |
| 2. | श्री एस.के. शर्मा | संयुक्त सचिव |
| 3. | श्री एस.के. श्रीवास्तव | समिति अधिकारी |

### प्रतिवेदन

1. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति की बैठक बुधवार, 2 अगस्त, 1995 को हुई ।

## (1) गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

2. समिति का मत था कि चार संकल्प जो पहले ही 24 एवं 31 मार्च, 1995 को सदन की बैठकों में प्रस्तुत किये गये थे, वे चर्चा के लिये लंबित हैं अतएव उन्हें सदन में चर्चा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी । चूंकि सदन में चर्चा के लिए केवल 5 संकल्पों को ही लिया जा सकता है, इसलिये केवल एक ही संकल्प के लिये बैलेटिंग की गई थी, जिसमें दिल्ली किराया विधेयक पर पुनर्विचार से संबंधित श्रीमती कृष्णा तीरथ के संकल्प को प्राथमिकता प्राप्त हुई । समिति ने शुक्रवार, 11 अगस्त, 1995 को इन संकल्पों पर चर्चा के लिये प्रत्येक के सामने उल्लिखित के अनुसार समय का आबंटन किया है :-

| संकल्प संख्या | सदस्य/प्रस्तावक | संकल्प का विषय | चर्चा के लिए निर्धारित समय |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री बोध राज | यह सदन भारत सरकार से सिफारिश करता है कि नियमों तथा उप नियमों में संशोधन कर के दिल्ली में स्थित सभी भवनों में तीसरा तल बनाने का प्रावधान करें । | 11.8.1995<br>20 मिनट |
| 2. | श्री फतेह सिंह | यह सदन केन्द्र सरकार से मांग करता है कि 857 अनधिकृत बस्तियों को नियमित करने के औपचारिक आदेश तुरन्त जारी करें । | 11.8.1995<br>30 मिनट |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 3. | श्री मुकेश शर्मा | यह सदन संकल्प करता है कि भूमि अधिग्रहण के नोटिस जारी करने से पूर्व जमीन का मुआयना किया जाये और मौके पर जमीन खाली होने की स्थिति में ही भूमि अधिग्रहण के नोटिस जारी किये जाये । | 11.8.1995<br>20 मिनट |
| 4. | श्री राजेन्द्र गुप्ता (मालवीय नगर) | यह सदन संकल्प करता है कि समयबद्ध ढंग से सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने तथा सड़कों के रखरखाव के प्रति एक समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाने की दृष्टि से स्लम बोर्ड की ही भांति एक दिल्ली सड़क बोर्ड बनाया जाये, जिसका प्रगति संबंधी प्रतिवेदन मुख्य मंत्री द्वारा छः माह के अंतराल से सदन में रखा जाये । | 11.8.1995<br>30 मिनट |
| 5. | श्रीमती कृष्णा तीरथ | यह सदन सिफारिश करता है कि भारत सरकार को दिल्ली किराया विधेयक, 1995 में उचित संशोधन करते हुए मकान मालिकों के अधिकारों और किरायेदारों के दावों के बीच अति आवश्यक संतुलन बनाये रखने के लिये उचित कदम उठाए । | 11.8.95<br>20 मिनट |

## 2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक

जहां तक गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों का संबंध है, समिति को सूचित किया गया कि अभी तक सचिवालय में निम्नलिखित पांच गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक प्राप्त हुए हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| 1. | दिल्ली बाल श्रम (समाप्ति, कल्याण व पुनर्वास) विधेयक, 1994 | कु0 पूर्णिमा सेठी |
| 2. | बालिका (अनिवार्य शिक्षा, पालन-पोषण एवं कल्याण) विधेयक, 1994 | |
| 3. | लोकायुक्त विधेयक, 1994 | श्री जगप्रवेश चन्द्र |
| 4. | पंजाबी को दिल्ली में दूसरी भाषा के रूप में मान्यता देने संबंधी विधेयक, 1995 | |
| 5. | दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक, 1995 | श्री दीप चन्द बंधु |

समिति को आगे यह भी सूचित किया गया कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम की धारा 22 में यह प्रावधान है कि यदि कोई भी विधेयक या संशोधन जिसमें वित्तीय बाध्यता, व्यय अथवा आशय जैसी कोई भी बात निहित हो, वह विधान सभा में उप राज्यपाल की पूर्व सहमति के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जायेगा । चूंकि, उपर्लिखित विधेयकों को पारित करने की दशा में, उनमें वित्तीय आशय निहित होते हैं, इसलिये उन्हें उप राज्यपाल के पास उनकी संस्तुति के लिए भेजा गया है । इस मामले को निपटाने का अनुरोध करते हुए तीन अनुस्मारक भी अब तक भेजे जा चुके हैं । जहां तक इन विधेयकों की वर्तमान स्थिति का प्रश्न है, ये विधेयक दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में पड़े हुए हैं ।

२५/८

समिति को सूचित किया गया कि उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए पांचों गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों में से किसी भी विधेयक को गैर सरकारी सदस्यों के दिन अर्थात् शुक्रवार, 11 अगस्त, 1995 को पुरःस्थापन अथवा चर्चा के लिए लिया जा सकता है ।

समिति ने श्री नन्द किशोर गर्ग को अपनी ओर से समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया और उनकी अनुपस्थिति में श्री ओ०पी० बब्बर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ।

चरती लाल गोयल
सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों
एवं संकल्पों संबंधी समिति

DELHI VIDHAN SABHA SACHIVALAYA

Report by Committee on Private Members' Bills and Resolutions

SIXTH REPORT

(Presented on 7.8.1995)

Composition of Committee

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri Charti Lal Goel | Chairman |
| 2. | Shri Nand Kishore Garg | Member |
| 3. | Shri O.P.Babbar | Member |
| 4. | Shri D.K.Bahl | Member |
| 5. | Shri Ram Pal Karhana | Member |
| 6. | Shri Jag Parvesh Chandra | Member |
| 7. | Dr.A.K.Walia | Member |

SECRETARIAT

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Shri P.N.Gupta, | Secretary, Delhi Vidhan Sabha |
| 2. | Shri S.K.Sharma, | Joint Secretary |
| 3. | Shri S.K.Srivastava | Committee Officer |

REPORT

1. The Committee on Private Members' Bills and Resolutions held a sitting on Wednesday the 2nd August, 1995.

(I) PRIVATE MEMBERS' RESOLUTION

The Committee was of the view that four resolutions introduced earlier in the sitting of the House on 24th March, and 31st March, 1995 are already pending disposal and would therefore be given priority for discussion in the House. Since only five resolutions can be taken up for discussion in the House, balloting was held for only one Resolution in which Smt.Krishna Tirath's Resolution regarding reconsideration of Delhi Rent Bill gained priority. The Committee allocated time for discussion of these resolutions on Friday, the 11th August, 1995 as shown against

....2

each below :

| ution | Name of Member/ Mover | Text of Resolution | Date | Time allotted for discussion |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Bodh Raj | This House recommends to the Govt of India that by amending laws and bye-laws, a provision be made to allow construction of third floor in all the buildings situated in Delhi. | 11.8.95 | 20 minutes |
| 2. | Shri Fateh Singh | This House demands that formal orders of regularising 857 unauthorised colonies be issued by Govt.of India immediately. | 11.8.95 | 30 minutes |
| 3. | Shri Mukesh Sharma | This House resolves that before issuance of notices of land acquisition, the land be inspected and notices issued only if the land is found to be vacant at the spot. | 11.8.95 | 20 minutes |
| 4. | Shri Rajendra Gupta (Malviya Nagar) | This House resolves that for ensuring time bound implementation of various projects and to adopt and coordinate unified approach towards maintenance of roads, a Delhi Road Board on the lines of Delhi Slum Board be set up. Progress report of this be presented in the House by the Chief Minister after an interval of six months in a year. | 11.8.95 | 30 minutes |

....3

21/c



| | | | |
|---|---|---|---|
| Smt. Krishna Tirath | This House recommends that the Govt. of India should take appropriate steps by making amendments in the Delhi Rent Bill, 1995, so as to create the much needed balance between the rights of landlords and the claims of tenants. | 11.8.95 | 20 minutes |

As regards the Private Members' Bills the Committee was informed that till date the following five Private Members' Bills have been received in the Secretariat:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | The Delhi Child Labour (Abolition), Welfare and Rehabilitation) Bill, 1994 | Km. Purnima Sethi |
| 2. | Girl Child (Compulsory Education, Upbringing and Welfare) Bill, 1994 | |
| 3. | Lokayukta Bill, 1994 | Sh. Jag Parvesh Chandra |
| 4. | Delhi Adoption of Punjabi as the Second Language Bill, 1995 | |
| 5. | The Delhi Municipal Corporation Amendment Bill, 1995. | Sh. Deep Chand Bandhu |

The Committee was further informed that Section 22 of the G.N.C.T. Act provides that any Bill or amendment involving financial liability, expenditure or implication whatsoever, shall not be introduced in the Legislative Assembly except with the prior recommendation of the Lt. Governor. Since the above mentioned Bills, if passed, would have involved financial implications, the same were sent to the Lt. Governor, for his recommendations. Reminders

.....4

have also been sent requesting the matter to be expedited. The present position of these bills is that they are lying with various Government Departments of Delhi.

The Committee was informed that in view of the above, none of the 5 Private Members' Bill could be taken up for introduction or discussion in the House on the Private Members' Day i.e. Friday the 11th August, 1995.

The Committee authorised Shri Nand Kishore Garg to present the report on its behalf and in his absence Shri O.P.Babbar would do the same.

CHARTI LAL GOEL
CHAIRMAN
Committee on Private Members' Bills and Resolutions